न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कनवास जिला कोटा(राज0)

बइजलास श्रीमती पुष्पा हरवानी R.A.S.

मिसल नंबर 23/17 निर्णय दिनांक 19.11.2019

बउनवान

1.लटूरलाल पुत्र घांसीलाल जाति बैरवा निवासी गुंजारा।
2.सत्यनारायण पुत्र रामलाल जाति बैरवा निवासी धूलेट तहसील कनवास जिला कोटा (राज0)

–प्रार्थीगण–

बनाम

1.रामचन्द्री बाई बेवा बैजानाथ जाति बैरवा निवासी धूलेट तहसील कनवास जिला कोटा।
2.राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार कनवास जिला कोटा।

–अप्रार्थीगण–

उपस्थित :–
प्रार्थीगण की ओर से एडवोकेट श्री नरेन्द्र कुमार कटारिया।
अप्रार्थी नबंर 01 की ओर से एडवोकेट श्री रेवतीरमण नागर।

निर्णय

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से वादी द्वारा जर्ये एडवोकेट वाद पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट के अन्तर्गत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उपरोक्त उनवान का एक वाद प्रार्थीगण ने माननीय न्यायालय में प्रस्तुत कर दिया है। जिसमें प्रार्थीगण को कामयाबी की पूर्ण उम्मीद हैं। इस प्रार्थना को भी वाद पत्र का अभिन्न अंग माना जावें।

यह कि प्रार्थीगण का वंशज सजरा निम्न प्रकार है।

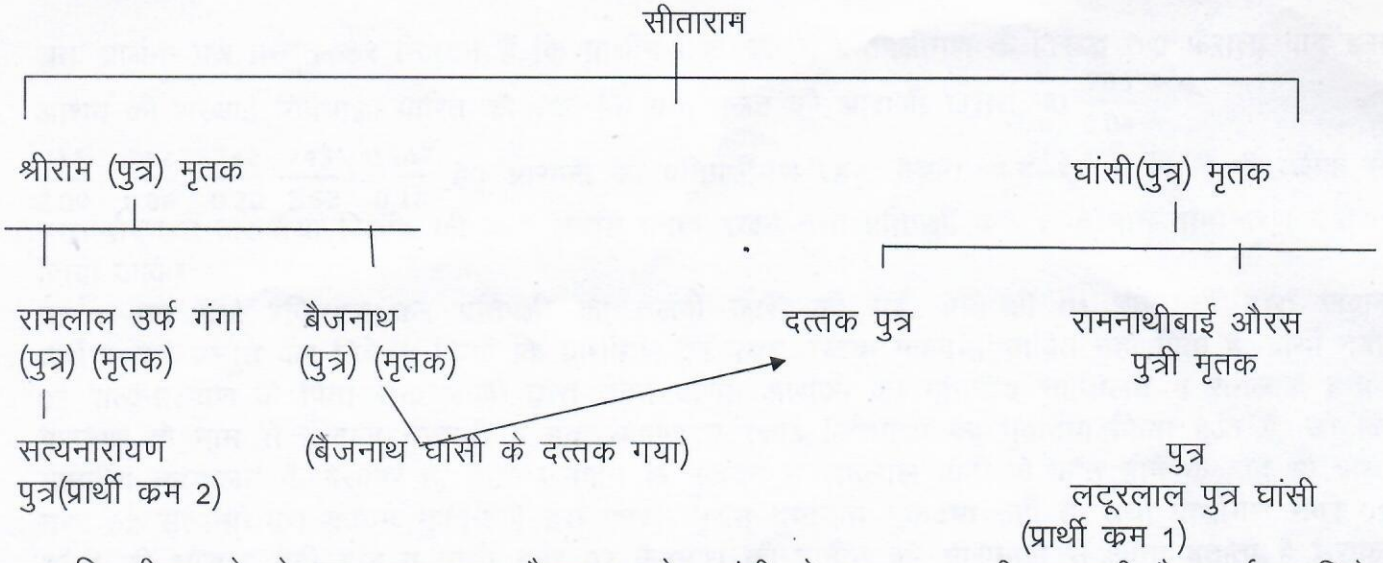

यह कि श्रीराम के दो पुत्र रामलाल व बैजनाथ हुये। घांसी के मात्र एक पुत्री रामनाथी पैदा हुई इसलिये घांसी ने श्रीराम से उसके पुत्र बैजनाथ को गोद लेकर गोद की समस्त रस्में अदा की। इस प्रकार बैजनाथ के घांसी के यंहा दत्तक चले जाने से कानूनन उसका अपने प्राकृतिक पिता के यहां समस्त अधिकार समाप्त हो गये तथा दत्तक पिता के यहां समस्त अधिकार उत्पन्न हो गये। तथा बैजनाथ का अपने जायदाद पिता श्रीराम की सम्पति में कानूनन कोई हक नहीं था। फिर भी श्रीराम की मृत्यु होने पर बैजनाथ ने अपना विरासतन इन्तकाल में नाम दर्ज करा लिया तथा अपना 1/2 हिस्सा पृथक करा लिया जो आज भी रिकोर्ड में बैजनाथ पुत्र श्रीराम के खाते में 159 की 13 बीघा 10 बिस्वा आराजी ग्राम धूलेट में खाता सं0 180 में दर्ज है। जिसका सेटलमेंट बाद नया खसरा न0 $\frac{706}{0.04}$, $\frac{711}{2.09}$ $\frac{712}{0.06}$ है0 कुल 2.19 है0 आज भी बैजनाथ पुत्र

उपखण्ड अधिकारी

श्रीराम के खाते दर्ज है। जो रामलाल के हितों पर तथा रामलाल के एक मात्र पुत्र वादी कम 2 के हितों पर कुठाराघात है।

यह कि बैजनाथ के दत्तक पिता घांसी जी जब फौत हुये तो उनका भी फोती नामान्तरण सं0 757 से दिनांक 10.06.92 को उनके दत्तक पुत्र बैजनाथ व पुत्री रामनाथी बाई के नाम तस्दीक हुआ परन्तु बैजनाथ ने हल्का पटवारी से मिली भगत करके जमाबन्दी में रामनाथी बाई के स्थान पर अपनी पत्नी रामचन्द्री बाई का नाम दर्ज करा लिया जो नामान्तरण सं0 757 की प्रति व जमाबन्दी सम्वत् 2046–2049 से स्पष्ट है। तभी से रामनाथी के स्थान पर रामचन्द्री का नाम आज तक दर्ज चला आ रहा हैं जो रामनाथी तथा रामनाथी के पुत्र वादी कम 1 के हितों पर कुठाराघात है। आज भी ग्राम धूलेट में खाता सं0 $\frac{742}{0.20}\ \frac{743}{2.52}\ \frac{1367}{0.16}$ कुल 3 किता की 2.88 है0 आराजी बैजनाथ पुत्र घांसी व रामचन्द्री पत्नी बैजनाथ दर्ज हैं जो अवैध है। तथा फर्जी तरीके से दर्ज कराया है।

यह कि उपरोक्त त्रृटि को दुरूस्त कराने तथा अपने को खातेदार घेषित कराने के लिये वादीगण ने दावा भी प्रस्तुत कर दिया है। परन्तु बैजनाथ के दिनांक 06.06.17 को स्वर्ग सिधार जाने पर उसकी पत्नी रामचन्द्री बाई अपने नाम नामान्तरण दर्ज कराकर आराजी खुर्द–बुर्द करने की धमकी दे रही है। तथा वादीगण को काबिज काश्त आराजी से बेदखल करने पर आमादा हैं। आराजी खसरा न0 706, 711, 712 की 2.19 है0, आराजी पर वादी कम 2 काबिज हैं। वहीं खसरा न0 742, 743, 1367 की कुल 2.88 है0 आराजी पर भी 1/2 हिस्सेदार वादी कम 1 काबिज काश्त है।

यह कि वादीगण को प्रतिवादी कम 1 द्वारा आराजी अपने खाते दर्ज कराकर खुर्द–बुर्द करने की धमकी देने पर वादीगण प्रार्थीगण के लिये यह आवश्यक हो गया है कि वह प्रतिपक्षीगण के विरूद्ध ता0 फैसला वाद इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करे कि प्रतिपक्षीगण आराजी खुर्द–बुर्द न करे। न वादीगण को बेदखल करें।

यह कि प्रार्थीगण का प्रथम दृष्टया केस है सुविधा संतुलन भी प्रार्थीगण के पक्ष में है तथा यह आराजी खुर्द–बुर्द कर दी गई तो प्रार्थीगण को क्षति होगी प्रार्थीगण बर्बाद होकर सड़क पर आ जायेगें तथा वाद का पिता को बढ़ावा मिलेगा। ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण के पक्ष में प्रतिपक्षीगण के विरूद्ध ता0 फैसला वाद अस्थायी निषेधाज्ञा जारी करना न्यायहित में आवश्यक है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थीगण के पक्ष में प्रतिपक्षीगण के विरूद्ध ता0 फैसला वाद इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा पारित की जावे कि ग्राम धूलेट की आराजी खसरा न0 $\frac{706}{0.04}$, $\frac{711}{2.09}\ \frac{712}{0.06}\ \frac{742}{0.20}\ \frac{743}{2.52}\ \frac{1367}{0.16}$ है0 आराजी को प्रतिपक्षीगण रहन, बैचान, खुर्द–बुर्द व किसी भी तरीके से हस्तान्तरण न करें तथा रिकॉर्ड की यथा स्थिति बनाये रखने तथा प्रतिपक्षी कम 1 के नाम नामान्तरण दर्ज न किया जावे।

प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिपक्षी की तलवी जारी की गई, प्रतिपक्षी 01 रामचन्द्री द्वारा जवाब प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण का पृथम दुष्टया मुकदमा साबित नंही होता है, प्रार्थी नबंर 02 सत्यनारायण के पिता रामलालजी द्वारा उक्त वर्णित आराजी को माननीय न्यायालय में रामलाल बनाम बैजनाथ के नाम से इन्द्राज दुरूस्ती व हक घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा का मुकदमा किया हुआ है, जो कि माननीय न्यायालय में जेरकार है, उक्त उनवान के मुकदमें में रामलाल वादी के फौत होने के बाद भी प्रार्थी नबंर 02 सत्यनारायण कायम मुकाम है इस कारण पृथम दुष्टयता मुकदमा नंही है, तथा प्रार्थीगण नबंर 01 घांसी की औलाद नंही होने व प्रार्थी नबंर 02 बैजनाथ की जमीन को श्रीरामजी से आना बताता है उसका कोई प्रमाण नंही होने से सुविधा का सन्तुलन प्रार्थीगण के पक्ष में विघमान नंही है तथा दूसरी तरफ अप्रार्थीया के पक्ष में विद्यमान है, तथा अगर अप्रार्थीया जो वेजनाथ की विधवा पत्नि है जो काफी वृद्व है उसको स्थगन से प्रतिबन्ध किया गया तो उसका गूजर बसर करना तथा खेती व्यवस्था करना दुष्कर हो जायेगा उसकी आजीविका का एक मात्र सहारा उक्त आराजी ही है। इस कारण अप्रार्थीया को अपूरणिय क्षति होने की संभावना है।

अतः जवाब प्रार्थना–पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा खारिज किये जाने की कृपा करें।

पत्रावली में बहस सूनी गई प्रार्थी वकील द्वारा मौखिक बहस की गई उनके द्वारा बहस में जाहिर किया कि श्रीराम के दो पुत्र रामलाल व बैजनाथ हुये। घांसी के मात्र एक पुत्री रामनाथी पैदा हुई इसलिये घांसी ने श्रीराम से उसके पुत्र बैजनाथ को गोद लेकर गोद की समस्त रस्में अदा की। इस प्रकार बैजनाथ के घांसी के यंहा दत्तक चले जाने से कानूनन उसका अपने प्राकृतिक पिता के यहां समस्त अधिकार समाप्त हो गये तथा दत्तक पिता के यहां समस्त अधिकार उत्पन्न हो गये। तथा बैजनाथ का अपने जायदाद पिता श्रीराम की सम्पति में कानूनन कोई हक नहीं था। फिर भी श्रीराम की मृत्यु होने पर बैजनाथ ने अपना विरासतन इन्तकाल में नाम दर्ज करा लिया तथा अपना 1/2 हिस्सा पृथक करा लिया जो आज भी रिकोर्ड में बैजनाथ पुत्र श्रीराम के खाते में 159 की 13 बीघा 10 बिस्वा आराजी ग्राम धूलेट में खाता सं0 180 में दर्ज है। जिसका सेटलमेंट बाद नया खसरा न0 $\frac{706}{0.04}$,$\frac{711}{2.09}$ $\frac{712}{0.06}$ है0 कुल 2.19 है0 आज भी बैजनाथ पुत्र श्रीराम के खाते दर्ज है। जो रामलाल के हितों पर तथा रामलाल के एक मात्र पुत्र वादी कम 2 के हितों पर कुठाराघात है। साथ ही अप्रार्थी एडवोकेट द्वारा दौराने बहस निवेदन किया कि प्रार्थी नबंर 02 सत्यनारायण के पिता रामलालजी द्वारा उक्त वर्णित आराजी को माननीय न्यायालय में रामलाल बनाम बैजनाथ के नाम से इन्द्राज दुरूस्ती व हक घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा का मुकदमा किया हुआ है, जो कि माननीय न्यायालय में जेरकार है, उक्त उनवान के मुकदमें में रामलाल वादी के फौत होने के बाद भी प्रार्थी नबंर 02 सत्यनारायण कायम मुकाम है इस कारण पृथम दुष्टयता मुकदमा नंही है, तथा प्रार्थीगण नबंर 01 घांसी की औलाद नंही होने व प्रार्थी नबंर 02 बैजनाथ की जमीन को श्रीरामजी से आना बताता है उसका कोई प्रमाण नंही होने से सुविधा का सन्तुलन प्रार्थीगण के पक्ष में विघमान नंही है तथा दूसरी तरफ अप्रार्थीया के पक्ष में विद्यमान है, तथा अगर अप्रार्थीया जो वेजनाथ की विधवा पत्नि है जो काफी वृद्व है उसको स्थगन से प्रतिबन्ध किया गया तो उसका गूजर बसर करना तथा खेती व्यवस्था करना दुष्कर हो जायेगा उसकी आजीविका का एक मात्र सहारा उक्त आराजी ही है। इस कारण अप्रार्थीया को अपूरणिय क्षति होने की संभावना है। अतः प्रार्थना–पत्र खारिज किया जावे। हमारे द्वारा बहस पर मनन किया गया।

हमारे द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र पर संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। जिसमें प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र में संलग्न नकल जमाबंदी सम्वत 2042–45 में ग्राम धूलेट के आराजी खसरा नबंर 236, 237,343 किता 03 रकबा 20 बीघा 09 बिस्वा में घांसी पुत्र सीताराम रिर्कोडेड खातेदार हैं। घांसी पुत्र सीताराम की मृत्यु उपरान्त नामान्तरण संख्या 757 में घांसीलाल के स्थान पर बेजनाथ पुत्र श्रीराम व रामचन्द्रीबाई पत्नी बेजनाथ उक्त आराजी के रिर्कोडेड खातेदार हुये। इसी प्रकार नकल जमाबंदी सम्वत 2050–53 की आराजी के खसरा नबंर 236, 237, 343 रकबा 20 बीघा 09 बिस्वा में भी बेजनाथ व रामचन्द्री रिर्कोडेड खातेदार है। पत्रावली में संलग्न नकल जमाबंदी सम्वत 2070–73 ग्राम धूलेट की खाता संख्या 221 के खसरा नबंर 742, 743, 1367, व खाता संख्या 222 के खसरा नबंर 706, 711, 712 का मिलान, मिलान क्षेत्रफल सम्वत 2058–2066 में अंकित खसरा नबंरो से होता है, जिसके रिर्कोडेड खातेदार रामचन्द्री व बेजनाथ है।
उक्त प्रार्थी द्वारा उपलब्ध दस्तावेजों से स्पष्ट है कि बैजनाथ व रामचन्द्री उक्त विवादित भूमि के खसरा नबंर 742, 743, 805, 806, 1367, व खाता संख्या 222 के खसरा नबंर 706, 711, 712 के रिर्कोडेड खातेदार हैं। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना–पत्र में दिये गये अन्य कथन के बारे में कोई दस्तावेज/साक्ष्य नंही दिये गये हैं।
अतः चूकि प्रार्थी रिर्कोडेड खातेदार नंही है, मुकदमा प्रथम दृष्टया प्रार्थी के पक्ष में नंही बनता है। अप्रार्थी द्वारा दिये गये जवाब प्रार्थना–पत्र मय 03 शपथ–पत्र पत्रावली पर उपलब्ध है, वही प्रार्थी द्वारा शपथ–पत्र अथवा स्वयं के कब्जा सम्बन्धी अथवा अप्रार्थी द्वारा विवादित भूमि खुर्द–बुर्द (Waste, Damage, Alienation) करने सम्बन्ध में कोई प्रमाण पत्रावली पर नंही है। अतः अपूर्णनीय क्षति व सुविधा का संतुलन भी प्रार्थी के पक्ष में नंही जाता है। अतः प्रार्थना–पत्र खारिज किया जाता है।
निर्णय आज दिनांक 19.11.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

पुष्पा हरवानी (आर0ए0एस0)
उपखण्ड अधिकारी
कनवास